

272



न्यायालय श्रीमान् सदस्य महोदय, राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट
कोर्ट रीवा, जिला रीवा म0प्र0
पुकार अकाउंट R. 5094 - दो/१७। 10/-



- 1— रामसुमिरन पाण्डेय तनय शिव मंगल पाण्डेय उम्र 80 वर्ष,
- 2— भैयालाल तनय शिवमंगल पाण्डेय उम्र 70 वर्ष,
- 3— सत्यप्रकाश पाण्डेय उम्र 51 वर्ष, } तीनों के पिता स्व0 युगल
- 4— राकेश पाण्डेय उम्र 45 वर्ष, } किशोर पाण्डेय
- 5— गया प्रसाद पाण्डेय उम्र 40 वर्ष, }
- 6— शियालली पत्नी स्व0 अरुणेन्द्र कुमार पाण्डेय उम्र 35 वर्ष,
- 7— चाहत कुमार पाण्डेय उम्र 12 वर्ष, तनय स्व0 अरुण कुमार पाण्डेय
- 8— प्रशान्त कुमारा पाण्डेय उम्र 09 वर्ष, तनय स्व0 अरुण कुमार पाण्डेय
आवेदक क0-07, 08 नाबालिंग द्वारा वली संरक्षिका माता शियालली
पत्नी स्व0 अरुणेन्द्र कुमार पाण्डेय सभी निवासी ग्राम पड़ा, तहसील

ओपेक गग मी और रायपुर कर्चुलियान, जिला रीवा म0प्र0
दो लोटिवाकर विपारी ८५/१७
दायरेश/ ७.३.१७

निगरानीकर्ता/आवेदकगण

विरुद्ध

रायपुर ग्राम पड़ा दो लोटिवाकर
अमृतलालबद्धबांधेखेत तनय शिवराम पाण्डेय उम्र 55 वर्ष, निवासी ग्राम पड़ा,
तहसील रायपुर कर्चुलियान, जिला रीवा म0प्र0

गैरनिगरानीकर्ता/अनावेदक

निगरानी विरुद्ध आदेश राजस्व निरीक्षक
महोदय राजस्व निरीक्षक मण्डल रायपुर
कर्चुलियान, जिला रीवा के प्रकरण
क0-28अ12/2016-17 में पारित आदेश
दिनांक 13.01.2017

निगरानी अन्तर्गत धारा 50(1) म0प्र0भू0
राजस्व संहिता 1959ई0

मित्र अमृत
रायपुर

१०१२११००००

ग्राम पड़ा

शियालली-पाण्डेप

२५६४

४४

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश गवालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक R:५०९४/१८ जिला शिवाय

..... रामचंद्रभर्जन पाठ्य विरुद्ध असूतबाल पाठ्य

1	2	3
16-1-19-	<p>1. आवेदक की ओर से श्री द्वाक्षरीयाठी अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, वृत्त तहसील के प्रकरण क्रमांक 28/अ-12/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 13.01.17 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म०प्र० भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संधोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर शिवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 29.03.19 को कलेक्टर शिवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: right;">1</p> <p style="text-align: right;">सदस्य</p>	